

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द  
(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री राकेश कुमार, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02/2018 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

दायर दिनांक 10.07.2018

निर्णय दिनांक 26.09.2018

### अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

—प्रार्थी

### बनाम

1. श्री उत्तमचन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द दलाल (मालिक/विक्रेता )  
मैसर्स दलाल जनरल स्टोर केसरीनाथ मन्दिर मार्ग सदर बाजार भीम  
जिला राजसमन्द
2. श्री अशोक कुमार मोटवानी (पार्टनर)  
मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया  
अजमेर राज0
3. श्री दीपक साधवानी (पार्टनर)  
मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया  
अजमेर राज0

— विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

### 0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्री श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सब स्टेडर्ड/मिस ब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी. 1.श्री उत्तमचन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द दलाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स दलाल जनरल स्टोर केसरीनाथ मन्दिर मार्ग सदर बाजार भीम

2.श्री अशोक कुमार मोटवानी (पार्टनर) मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अजमेर राज0



~

3. श्री दीपक साधवानी (पार्टनर) मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अजमेर राज0 जी की Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] बेचने का कार्य करते हैं । इनकी दूकान मैसर्स श्री दलाल जनरल स्टोर केसरीनाथ मन्दिर मार्ग सदर बाजार भीम जिला राजसमन्द पर दिनांक 27.04.2017 को समय 06.00 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग पहुंचे। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन मौके पर पेश किया । वक्त निरीक्षण उक्त फर्म पर 5 प्लास्टिक पन्नी के बने कैरेट में कुल 100 सील्ड प्लास्टिक की बाटल्स प्रत्येक 600 एमएल Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] आम जनता को विक्री हेतु रखी हुई थी। इसमें मिलावट का शक होने पर एक प्लास्टिक कैरेट को खोलकर उक्त Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] की 20 सील्ड प्लास्टिक बाटल्स प्रत्येक 600 एमएल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 400/- रूपये विक्रेता को नगद अदाकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर लिये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार कर चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अलग-2 चिपकाये गये। चिपकाये गये नमूना भागो पर विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें । सील कर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए. आई - 664 नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पैकेटस पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक मुचिअ./एफएसएसए/2017/1450 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस / 211/एक्ट/2017/256 दिनांक 12.05.2017 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] सबस्टैण्डर्ड एवं मिस ब्राण्ड होना पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया।



✓

अभिहित अधिकारी एवं संभाग स्तरीय (खाद्य सुरक्षा) जोन उदयपुर के पत्र क्रमांक 44 दिनांक 03.01.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।


कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षीगण द्वारा अपने जबाब में अवगत कराया कि आप श्रीमान जो भी उचित समझे जुर्माना जमा कराने को तत्पर हूँ एवं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। विपक्षीगण द्वारा जूम स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी की Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] सबस्टैण्डर्ड एवं मिस ब्राण्ड होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (ii) का उपयोग करते हुए उक्त केस में सबस्टैण्डर्ड एवं मिस ब्राण्ड Sweetened Carbonated Beverage [Juest Cool Cola] का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी 1. श्री उत्तमचन्द दलाल फर्म मैसर्स दलाल जनरल स्टोर केसरीनाथ मन्दिर मार्ग सदर बाजार भीम जिला राजसमन्द 2. श्री अशोक कुमार मोटियानी मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अजमेर राज0 3. श्री दीपक साधवानी, मैसर्स बालाजी फूड एण्ड बेवरेजेज जी 211 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया अजमेर राज0 को 5,000 , 10,000 एवं 15,000 कुल 30,000/- रुपये (अक्षरे रूपया तीस हजार रूपये) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे खाद्य पदार्थों मे किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(राकेश कुमार)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
राजसमन्द